

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

एकिजट पॉलिसी के आदेश क्रमांक 3758/1312/13/विवि0/08/06 दिनांक 3/8/2006 के अनुसार स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 76वीं बैठक के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त संविदा व्याख्याताओं के लिये शर्ते

- 1 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि का वहन स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत प्राप्त होने वाली आय या शुल्क से किया जायेगा।
- 2 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों का सर्वांग विश्वविद्यालय के अन्य पदों/अनुदानित पदों के संबंध से बिल्कुल अलग होगा। दोनों में परस्पर संबंध नहीं होगा न ही उसका समायोजन/संविलियन/स्थानांतरण ही किया जायेगा।
- 3 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली /की गई नियुक्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। इसका दायित्व विश्वविद्यालय तथा संबंधित शिक्षक का होगा। इन पदों से संबंधित किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में म0प्र0 शासन आयुक्त उच्च शिक्षा या अधीनस्थ कार्यालय को प्रतिवादी नहीं बनाया जायेगा।
- 4 इस प्रकार की नियुक्तियों पर किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
- 5 उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होगी। और किसी भी समय बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
- 6 प्रथमतः नियुक्ति 06 माह के लिये होगी। विश्वविद्यालय के नियमानुसार 06 माह के कालखण्ड में यह सेवा 03 वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है।
- 7 नियुक्त अभ्यार्थियों को 100 रुपये के नानजूडिसियल स्टाम्प पेपर पर (नोटराईज) एकिजट पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों को मान्य करने हेतु इस आशय का अन्दर टैकिंग देना होगा कि उन्हें यह नियुक्ति मान्य है, यदि उन्हें यह नियुक्ति मान्य नहीं है तो कार्यभार ग्रहण न करें।

दिनांक _____

साक्षी के हस्ताक्षर

1 नाम व पता:-

संविदा व्याख्याता के हस्ताक्षर

नाम:-

वर्तमान पता-

मो०न०

2 नाम व पता:-

विभागाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
संविदां व्याख्याता हेतु अनुबंध पत्र

मुझे संविदा व्याख्याता के रूप में कार्यालयीन आदेश क्रमांक
दिनांक के द्वारा विभाग.....समयावधि
के लिये की गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित
शर्ते मान्य हैं।

- 1 संविदा व्याख्याता के रूप में मुझे नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्ते
मान्य हैं।
- 2 मेरी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना किसी सूचना के कभी
भी समाप्त की जा सकेगी।
- 3 नियमितीकरण की भविष्य में विश्वविद्यालय से मॉग नहीं करूंगा
/करूंगी।
- 4 संविदा व्याख्याता सेवा वृद्धि के संबंध में जो भी निर्णय
विश्वविद्यालय द्वारा लिया जावेगा वह मुझे मान्य होगा।
- 5 उपस्थिति/अनुपस्थिति की दशा में विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के
आधार पर किया गया भुगतान मुझे मान्य होगा।
- 6 मुझे यह ज्ञात है कि मेरी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं प्रथमतः 06
माह के लिये है, अधिकतम अवधि 03 वर्ष है।

गवाहः—

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर
संविदा व्याख्याता

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
क्रमांक ३२१२ प्रशासन/२०१५

भोपाल, दिनांक २३/१२/१५

आदेश

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की ७६वीं बैठक के दिशानिर्देशानुसार, चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १८.१२.२०१५ के पद क्रमांक १५/६/०९ में लिये गये निर्णयानुसार फार्मसी विभाग स्ववित्तीय विभाग में शैक्षणिक कार्यव्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नांकितों को समेकित वेतन रूपये २५,०००/- प्रतिमाह पर संविदा व्याख्याता के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह तक आरक्षण नियमों का पालन करते हुए निम्नांकित शर्तों के आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है -

अनारक्षित श्रेणी-

1. डॉ. निधि जैन
2. सुश्री स्नेहा कुलकर्णी
3. डॉ. नीलिमा गोस्वामी
4. डॉ. पृथु पाठक राजपूत
5. डॉ. अश्विनी मिश्रा
6. श्री मो० शोऐब जमाल
7. श्री अरविन्द सिंह परमार

शर्त-

1. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी-भी समाप्त की जा सकती है।
2. इस आधार पर किसी भी संविदा व्याख्याता को नियमित करने वाले कोई भी मांग विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगी।
3. प्रथम नियुक्ति छः माह की होगी। कार्यसंतोषजनक होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के नियमानुसार (छः माह के कालखण्ड) में यह सेवा अधिकतम तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है।
4. चयनित अभ्यार्थियों को आदेश प्रसारण तिथि से १५ दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
5. उक्त संविदा व्याख्याताओं के वेतन आदि पर होने वाला व्ययभार विश्वविद्यालय के फार्मसी विभाग के स्ववित्तीय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का व्ययभार वहन नहीं किया जावेगा।
6. अनुपस्थिति की स्थिति में उस अवधि का वेतन का कटौत्रा विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जावेगा।
7. नियुक्त अभ्यार्थियों को १००/- के नानजूडिसियल स्टाम्प पेपर पर(नोटराईज)एकिजट पालिसी में उल्लेखित शर्तों को मान्य करने हेतु इस आशय का अंडर टेकिंग देना होगा कि उन्हें यह नियुक्ति मान्य है। यदि उन्हें यह नियुक्ति मान्य नहीं है तो कार्यभार ग्रहण न करें।
8. संलग्न अनुबंध प्रस्तुत करने के बाद ही आपकी सेवा में उपस्थिति मानी जावेगी।
9. जाति प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों की मूल प्रति मय सत्यापित प्रति तथा शर्तों का अनुबंध विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगी।

एस.सी. श्रेणी

1. डॉ. रचना अखण्ड गिरी
2. श्री सतीश कुमार सारनकर

ओ.बी.सी. श्रेणी

1. सुश्री निष्ठा साहू
2. श्री हार्याक्षा प्रजापति
3. श्री रितेश मानकर

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कार्यवाहक कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक ३२१३/प्रशासन/२०१५

भोपाल, दिनांक २३/१२/१५

प्रतिलिपि-

1. संबंधित चयनित अभ्यार्थियों की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, फार्मसी विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी/कुलसचिवजी के सादर सूचनार्थ ।
6. निजी नस्ती ।

Reh

अभ्यासहर्ष कार्यक्रम सचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

एकिजट पालिसी के आदेश क्रमांक 3758/1312/13/वि०वि०/08/06 दिनांक 3/8/2006 के अनुसार स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 76वीं बैठक के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त संविदा व्याख्याताओं के लिये शर्तें

- 1 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि का वहन स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत प्राप्त होने वाली आय या शुल्क से किया जायेगा।
- 2 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों का सर्वांग विश्वविद्यालय के अन्य पदों/अनुदानित पदों के सर्वांग से बिल्कुल अलग होगा। दोनों में परस्पर संबंध नहीं होगा न ही उसका समायोजन/संविलियन/स्थानांतरण ही किया जायेगा।
- 3 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली /की गई नियुक्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। इसका दायित्व विश्वविद्यालय तथा संबंधित शिक्षक का होगा। इन पदों से संबंधित किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में म०प्र० शासन आयुक्त उच्च शिक्षा या अधीनस्थ कार्यालय को प्रतिवादी नहीं बनाया जायेगा।
- 4 इस प्रकार की नियुक्तियों पर किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
- 5 उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होगी। और किसी भी समय बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
- 6 प्रथमतः नियुक्ति 06 माह के लिये होगी। विश्वविद्यालय के नियमानुसार 06 माह के कालखण्ड में यह सेवा 03 वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है।
- 7 नियुक्त अभ्यार्थियों को 100 रुपये के नानजूडिसियल स्टाम्प पेपर पर (नोटराईज) एकिजट पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों को मान्य करने हेतु इस आशय का अन्डर टैकिंग देना होगा कि उन्हें यह नियुक्ति मान्य है, यदि उन्हें यह नियुक्ति मान्य नहीं है तो कार्यभार ग्रहण न करें।

दिनांक

साक्षी के हस्ताक्षर

1 नाम व पता:-

2 नाम व पता:-

विभागाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर

संविदा व्याख्याता के हस्ताक्षर

नाम:-

वर्तमान पता-

म०प्र०

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
संविदा व्याख्याता हेतु अनुबंध पत्र

मुझे संविदा व्याख्याता के रूप में कार्यालयीन आदेश क्रमांक
दिनांक के द्वारा विभाग.....समयावधि
के लिये की गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित
शर्तें मान्य हैं।

- 1 संविदा व्याख्याता के रूप में मुझे नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तें
मान्य हैं।
- 2 मेरी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना किसी सूचना के कभी
भी समाप्त की जा सकेगी।
- 3 नियमितीकरण की भविष्य में विश्वविद्यालय से मॉग नहीं करूंगा
/करूंगी।
- 4 संविदा व्याख्याता सेवा वृद्धि के संबंध में जो भी निर्णय
विश्वविद्यालय द्वारा लिया जावेगा वह मुझे मान्य होगा।
- 5 उपस्थिति/अनुपस्थिति की दशा में विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के
आधार पर किया गया भुगतान मुझे मान्य होगा।
- 6 मुझे यह ज्ञात है कि मेरी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं प्रथमतः 06
माह के लिये है, अधिकतम अवधि 03 वर्ष है।

गवाहः—

- 1.
- 2.

हस्ताक्षर
संविदा व्याख्याता

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कार्यालय - छोशंगाबाद मार्ग, भोपाल - ४६२ ०२६

क्रमांक : २२५६ परीक्षा / 15

भोपाल, दिनांक : २३/१२/२०१५

अधिसूचना

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जनवरी- 2016 में आयोजित प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर स्तर यथा : एम.ए/एम.एस.सी/एम.काम/एम.एस.सी होम सांइस रिसोर्स मेनेजमेंट, फूड न्यूट्रीशन, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन, हयमन डेव्हलपमेंट/एम.एस.सी./एम.ए. नियमित/स्वाध्यायी/एटीकेटी की समय-सारणी घोषित कर संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों को भेजी जारही है, जिसे विश्वविद्यालय की बेवसाइट (**WWW.bubhopal.nic.in**) पर देखा जा सकता है।


प्रभारी कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ. क्रमांक २२५७ परीक्षा / 15

भोपाल, दिनांक : २३/१२/२०१५

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. बेवसाइट के माध्यम से प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की ओर इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ की कृपया समस्त सम्बंधित छात्रों को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. उप-कुलसचिव, गोपनीय की ओर उचित कार्यवाही हेतु ।
4. कुलपति के सचिव के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
5. कुलसचिव के सचिव के माध्यम से कुलसचिवजी के सूचनार्थ ।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्रों की ओर उनके लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्र हित में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित ।
7. प्रभारी बेवसाइट ।


उपकुलसचिव (परीक्षा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल